न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–113/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

[आदेश 07.12.22 को दी.]

उनवान

1. सुषमा शर्मा पुत्री स्व0 श्री सतीश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 22, मनुमार्ग, अलवर (राज0)।

..... अपीलांट

बनाम

1. मधु शर्मा पत्नि स्व0 श्री कैलाश चंद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 201, ब्रेकनडेल लेन, एडमण्ड, ओकलाहोमा 730003 यू.एस.ए।
2. रामेश्वर दयाल पुत्र मिटठनलाल जाति कुमावत निवासी लखण्डावाला कुआं, अलवर।
3. प्रेमशंकर पुत्र एच.डी शर्मा निवासी मन्दाकिनी एनक्लेव, दिल्ली–19
4. अंजली शर्मा पुत्री प्रेमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी 1053, पालम नई दिल्ली।
5. तेजसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी ढाकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।
6. दीपक कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति सक्सेना (कायस्थ) निवासी शकरकुई के पास, नयाबास तहसील व जिला अलवर।
7. गंगासहाय पुत्र रामजीलाल जाति सैनी निवासी सोनावा की डूंगरी, विवेकानन्द नगर तहसील व जिला अलवर ।
8. लालीदेवी पत्नी गंगासहाय जाति सैनी निवासी सोनावा की डूंगरी, विवेकानन्द नगर, तहसील व जिला अलवर (राज0)।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री शैलेन्द्र भार्गव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अमर चन्द चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय ::: **दिनांक :–03.12.2019**

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 04.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटा वादिनी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का एक दावा इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 1768

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

रकबा 0.67 है0, जिसके साबिक खसरा नंबर 3523 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके अलवर नं. 2 विवेकानन्द नगर अलवर में स्थित है। जिसके पूर्व खातेदार नारायण पुत्र सुखदेव जाति ब्राह्मण थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके विधिक वारिसान द्वारा विवादित आराजी को वादिनी सुषमा शर्मा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जर्ये तीन रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के जरिये विक्रय किया गया जिसमें 1/5 हिस्सा मिन वादिनी का, 3/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का है। विक्रय के पश्चात हिस्से के मुताबिक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 आराजी के खातेदार हैं। कागजात माल में उनके नाम इन्द्राज और खातेदार हो चुका है। वर्तमान जमाबंदी में वे हिस्से के मुताबिक खातेदार दर्ज हैं। आराजी का विधिक बंटवारा आज तक नही हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य हैं। आराजी में से कुछ आराजी शामलात में विक्रय कर दी गई है। जिसमें सभी हिस्सेदारों की सहमति थी। विक्रय के पश्चात बाकी बची भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती भूमि है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी के बचे रकबे को तन्हा स्वयं की बताकर विक्रय करने की जुस्तजू में है व विवादित आराजी में निर्माण कार्य करवाने पर उतारू है। वादी को जबरन बेदखल करने की तैयारी में है जबकि विवादित आराजी पर वादिनी काबिज है। विवादित आराजी पर चारदीवारी बनाई हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 पिछले करीब 40 साल से अमेरिका में रह रही है तथा वहीं की नागरिक है। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 द्वारा फर्जी एग्रीमेंट बनाकर आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 द्वारा सिविल न्यायाधीश संख्या 1, अलवर की अदालत में फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर दावा किया गया था जो बाद में स्वयं ही खारिज करवा लिया गया। फर्जी एग्रीमेंट की जानकारी होने पर वादिनी द्वारा एफआईआर भी अंतर्गत धारा 420 व 467 आईपीसी दर्ज कराई गई है। वादिनी द्वारा वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 39 नियम 1व 2 व धारा 151 सीपीसी भी प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र स्थगन भी प्रस्तुत किया गया व एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद को बार्डबाई ला बताकर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2018 के बहक वादी अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई। उसके बाद दिनांक 10.08.2018 को प्रार्थना पत्र स्थगन, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनकर दिनांक 04.09.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर वाद वादिनी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद इस आधार पर खारिज किया है कि वादिनी ने वाद पत्र में विवादित आराजी को कृषि भूमि होना दर्शित किया है जबकि विवादित आराजी कृषि भूमि नही होकर आवासीय/प्लॉट बने हुये हैं। इसलिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

आराजी कृषि भूमि न होकर आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को कन्सीडर नही किया कि यदि आराजी राजस्व रिकॉर्ड में बतौर कृषि भूमि दर्ज है तो भूमि का विवाद तय करने का क्षेत्राधिकार सिर्फ राजस्व न्यायालय को है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में माननीय राजस्व मंडल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि कृषि भूमि दर्ज है तथा उसका भू उपयोग रूपान्तरण नही करवाया गया है तो वाद सुनने का क्षेत्राधिकार सिर्फ राजस्व न्यायालय को है। प्रतिवादीगण अपना क्लेम मात्र अनरजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर क्लेम करते हैं तथा उनके हक में कोई विक्रय पत्र नही है। यदि उन्हें आराजी पर कब्जा चाहिये तो वे पहले स्पेशिफिक परफोरमेंस की डिक्री सिविल कोर्ट से प्राप्त करे तत्पश्चात वे कब्जा लेने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 द्वारा दीवानी न्यायालय में स्पेशिफिक परफोर्मेंश का वाद दायर किया गया जो खारिज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा पेशकर्दा जमाबंदी संवत 2071 लगायत 2074 का गौर नही किया। उक्त जमाबंदी में वादिनी का 1/5 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 मधु शर्मा का 3/5 हिस्सा दर्ज है। वे जमाबंदी में भूमि का वर्गीकरण बतौर बारानी प्रथम दर्ज है व आराजी पर देय लगाान दर्ज किया हुआ है। जमाबंदी रिकॉर्ड आफ राईट की परिभाषा मे आती है तथा धारा 140 भू राजस्व अधिनियम के तहत जमाबंदी को सही होने का कयास हासिल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को नजरअंदाज कर तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट को आधार बनाया है जो कि एक विधिक त्रुटि है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपनी अपील के समर्थन में अपीलांट द्वारा निम्न नजीरें भी पेश की गई।

DNJ 2012 (1) page 531, RRD 1998 page 529, RBJ 2009 page 473, DNJ (1) 2009 page 410, RLW 2011(2) page 1291, RLW 2007 (2) page 997.

जबाव बहस अभिभाषक रेस्पो0 ने जबाव दावा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में अंकित दर्ज कथनों का हवाला देते हुये कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो दावा खारिज किया है वो सही किया है। एवं आगे रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बताया कि विवादित आराजी का हाल खसरा नंबर 1768 रकबा 67 एयर है। जिसके साबिक खसरा नंबर 3523 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के रिकॉर्डेड खातेदार नारायण लाल था। नारायण लाल की मृत्यु के बाद उक्त विवादित आराजी उसके पांच वारिसान एक पत्नि, भौरी देवी, व दो पुत्रियों कलावती,प्रेम तथा दो पुत्र प्यारेलाल व गुलाब के नाम विरासत का इन्तकाल दर्ज हो गया। बाद इन्तकाल असल रेस्पो0 संख्या 1 मधु शर्मा ने उक्त विवादित आराजी का 3/5 भाग क्रमशः भौरी देवी, कलावती, प्रेम से जर्ये बयनामा दिनांक 07.09.2081 को खरीद की एवं जो बयनामा 16.10.1987 को उपपंजीयक के यहां रजि0 हुआ था, खरीद करने से पूर्व ही विवादित आराजी का घरेलू तौर पर नारायण के वारिसान में अपना बंटवारा कर लिया था तथा किसका हिस्सा किधर रहेगा ऐसी सहमति जाहिर की गई थी। जो बयनामा न्यायालय की पत्रावली में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत किया है उस बयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी का वक्त खरीद के समय ही तीन वारिसान भौरी देवी, कलावती, प्रेम का 3/5 हिस्सा श्रीमति

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

मधु शर्मा ने जर्ये सहखातेदार प्यारेलाल व गुलाब चन्द के हस्ताक्षर हैं। उस बयनामे में साफ लिखा हुआ है कि तरफ उत्तर प्यारेलाल व गुलाब का हिस्सा है तथा तरफ दक्षिण में बावडी है। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 मधु शर्मा का हिस्सा तरफ दक्षिण का है जिसमें वक्त बयनामा के समय ही निशानात बना दिये गये थे। तथा अपीलांट सुषमा शर्मा ने अपना 1/5 हिस्सा प्यारेलाल से दिनांक 08.06.1984 को खरीद किया। जो उत्तर दिशा की तरफ खरीद किया है। जो बयनामा सुषमा शर्मा के हक में तस्दीक हुआ है वह पत्रावली में प्रस्तुत है। उसकी हदूद अर्बा से भी स्पष्ट है कि तरफ दक्षिण को मधु शर्मा की आराजी है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलांट द्वारा खरीद किये जाने से पूर्व ही बंटवारा हो चुका था।तथा बाद खरीद करने के अपीलांट सुषमा शर्मा ने उक्त विवादित आराजी का ले आउट नक्शा तैयार किया है। जिसमें सुषमा शर्मा के हस्ताक्षर हैं। जिसमें भूखण्डों के नंबर डले हुये हैं। तथा मौके पर अपने हिस्से अनुसार कब्जे में थे। अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी के अपने संपूर्ण हिस्सा के एवं रेस्पो0 संख्या 1 मधु शर्मा की हिस्से की आराजी में से कुछ प्लाटों का बेचान जर्ये एग्रीमेंट कर दिया गया। अपीलांट का उक्त आराजी में लेस मात्र एक इंच पर भी कब्जा नही है ना ही कोई आराजी शेष है। जब अपीलांट की कोई आराजी शेष नही है तो उक्त विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार भी नही है जिससे विनायदावा पैदा नही होती। जब विनायदावा पैदा नही होती तो दावा करने का अधिकार नही है। इसलिये दावा अधीनस्थ न्यायालय में सही खारिज किया गया है।

आगे जबाव बहस में विद्वान रेस्पो0 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि मधु शर्मा की शेष बची आराजी के शेष बचे भूखण्डों को मधु शर्मा के पावर अटॉर्नी होल्डर श्री पुनीत अंकुर शर्मा से दिनांक 29.03.2018 को जर्ये इकरारनामा के 50 लाख रूप्ये में खरीद किया है। जिसका भुगतान जर्ये बैंकर्स चैक के किया गया है। तथा वक्त खरीद ही भूखण्डों पर क्रेता को कब्जा दिला दिया। वक्त खरीद से आज तक रेस्पो संख्या 5 लगायत 7 का कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर चार दीवारी, कमरे, टीन शेड आदि बनी हुई हैं। अपीलांट 1/5 हिस्से की आराजी में मधु शर्मा की कुछ हिस्से की आरांजी में पुख्ता मकानात करीब 30--35 बने हुये हैं। जिनमें परिवार निवास करते हैं। मौके पर कोई भूमि में काश्त नही होती है।भूमि आबादी के बीच में है। रेस्पो0 द्वारा जो आराजी में से भूखण्ड खरीद किये हैं उनकी चारदीवारी व कमरे बने हुये हैं। इस मौके स्थिति बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हलका से मौके की रिपोर्ट भी तलब की जिस पटवारी हलका की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 20.08.2018 से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में मौके पर कृषि कार्य नही हो रहा है। एवं मौके पर आंशिक भाग पर चारदीवारी हो रही है।मौके पर तेजसिंह रेस्पो0 आदि का बोर्ड लगा हुआ है।एवं विवादित आराजी के तरफ उत्तर पुरानी पक्की आबादी में लगभग 35 मकानात पूर्व से हीं बने हुये हैं जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा नही है। एवं आबादी बसी हुई है।इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है।

जबाव में अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा यह भी कथन किया गया कि एग्रीमेंट में कब्जा देना साबित है एवं बाद एग्रीमेंट रेस्पो0 मौके पर काबिज है अपीलांटा ने केवल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का दावा दायर किया है।स्थाई निषेधाज्ञा का दावा केवल टीनेन्ट ही दायर कर सकता है किन्तु यह भी आवश्यक शर्त है कि दावा दायर करते समय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

वादी का कब्जा होना आवश्यक है। यहां उक्त प्रकरण में वादिनी का मौके पर कब्जा नही है। भूमि काश्त के काबिल नही है। भूमि पर किसी प्रकार की कोई कृषि नही हो रही है। भूमि पर वक्त खरीद से ही वादिनी द्वारा ले आउट नक्शा तैयार कर प्लाट काट दिये गये हैं।रेस्पो0 5 लगायत 7 वक्त क्रय से ही मौके पर काबिज हैं। अपीलांट को कोई कॉज आफ एक्शन पैदा नही हुआ है। दावा आधारहीन है। ऐसी स्थिति में जो दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश किया गया था वह सही खारिज किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया गया। रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा अपने समर्थन में निम्न नजीरें पेश की हैं।

RRD 1975 page 191, RRJ 2012(1) page 358, WLC 2013(1) (RAJ) page 292, RRD 1993 page 504, RLR 2006 (1) page 525, RLW 2008 (2) 1390, RRD 1988 page 703

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2018 का अवलोकन किया । अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

बयनामा मु0 भौरी बगैरा ने रेस्पो0 मधु शर्मा को विक्रय कर उपपंजीयक कार्यालय में 09.09.81 को पंजीयन करवाया है। पेज 2 पर विक्रेतागणों का आपसी बहामी तकासमा का उल्लेख है। पृष्ठ संख्या 3 पर इस बेची हुई आराजी 3/5 का हदूद अर्बा अंकित किया है जिस पर अंगूठा निशानी विक्रेतागण भौरी, कलावती, प्रेम का है। दस्तावेज विक्रय पत्र दि0 09.11.84 मनके (1) प्यारेलाल द्वारा अपना हिस्सा सुषमा शर्मा को विक्रय किया है उसके पृष्ठ 4 पर हदूद अर्बा भी अंकित है।

ये दोनों बयनामे जो कि उपपंजीयक द्वारा पंजीकृत हुये हैं, में विवादित आराजीयात उत्तर में सुषमा व दक्षिण में मधु की है जिसकी जानकारी अपीलांट व रेस्पो0 को प्रारंभ से ही रही है।जिससे यह साबित होता है कि मूल विक्रेतागणों द्वारा बहामी तकासमे के आधार पर ही विक्रय किया गया है। इस तथ्य से स्वयं क्रेता भली भांति वाकिफ हैं और क्रय के समय से ही उसके हिस्से पर काबिज होने की उपधारणा विक्रय पत्र के आधार पर है।

मधु शर्मा द्वारा जो पावर ऑफ अटॉर्नी सुषमा शर्मा को की गई थी वह 28.05.2009 को विश्वास नही होने के कारण प्रत्याहरित कर ली। उक्त दस्तावेज भी उपपंजीयक द्वारा पंजीबद्ध है।

कब्जे के संबंध में पटवारी हलका व तहसीलदार की रिपोर्ट दि0 09.12.2017 एवं 20.08.2018 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आराजीयात के उत्तर में लगभग 30–35 मकान बने हुये है एवं दक्षिण दिशा में 6–7 प्लॉट खाली हैं। प्लॉट पर बाउण्ड्री भी है। मौके पर पैमाईश नही हो सकती।

विवादित आराजीयात विक्रय के समय से ही बहामी तकासमे के आधार पर विक्रेताओं ने क्रेताओं को विक्रय किया है जो कि पंजीयन दस्तावेजों से साबित होता है।

जैसा कि अपीलांट ने स्वयं अपील मीमो में अंकित किया है कि कुछ आराजी शामलात में बेच दी गई है एवं विक्रय पत्रों में भी विवादित आराजी का हदूद अर्बा अंकित है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

इससे यह उद्धारणा है कि क्रयशुदा भूखण्ड एवं उनमें से शामलात में विक्रय हुये भूखण्ड केवल भूखण्ड के रूप में ही क्रय विक्रय किये गये हैं। जब इस प्रकार क्रय विक्रय किये गये हैं तो निश्चित रूप से ही वह भूमि यद्यपि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि है परन्तु भूखण्ड छोटे होने के कारण एवं आवासीय रूप में मौके पर उपयोग में आने से उनका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही हो सकता है। परन्तु यहां मौके पर कृषि भूमि नही होने का निष्कर्ष निकलता है।

जब पक्षकारों द्वारा बहामी तकासमे के आधार पर क्रय किया गया है तो एक बार पारिवारिक समझौता अनुसार बंटवारा के उपरान्त विधिक रूप से बंटवारा किया जाना इसलिये संभव नही क्यों कि उक्त भूमि छोटे–छोटे भूखण्डों में विक्रय होकर क्रेताओं द्वारा तरफ उत्तर की ओर 30–35 मकानात बनाये जा चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर करते समय ही कब्जा तरफ उत्तर की ओर 30–35 मकान स्वामियों के एवं तरफ दक्षिण 6–7 प्लॉट भूखण्ड स्वामियों के तहसीलदार एवं पटवारी रिपोर्ट से जाहिर हैं।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नही होते क्यों कि राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुनवाई की गई है और वाद राजस्व न्यायालय द्वारा ही खारिज किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रारम्भिक रूप से कब्जा अहम घटक है।

रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू होते हैं क्योंकि वाद के समय रेस्पो0 का कब्जा था। उपर्युक्त विवेचन के आधार विक्रेताओं द्वारा बहामी तौर पर बंटवारा करने के उपरान्त ही क्रेताओं को विक्रय किया है एवं क्रेताओं द्वारा भी इसी आधार पर प्रतिफल देकर पंजीयन कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में ने वादिनी अपीलांट का दावा खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय आदेश 07 नियम 11 सीपीसी दिनांक 04.09.2018 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)